

## स्वतंत्र नदिशकों का मूल्यांकन

### समाचारों में क्यों ?

सुधारों की बात जोहता कॉर्पोरेट प्रशासन में एक आशा की करिण दिखाई दे रही है, वदिति हो कि सूचीबद्ध कंपनियों के स्वतंत्र नदिशकों का मूल्यांकन अब 'नामांकन और पारशिरमकि समति' (Nomination and Remuneration Committee) करेगी और उस मूल्यांकन के आधार पर ही यह नरिणय लिया जाएगा कि वे कंपनी के स्वतंत्र नदिशक के पद पर बने रहेंगे अथवा नहीं। इससे पहले बाह्य संस्थाओं द्वारा नदिशकों का मूल्यांकन उनकी इच्छा पर नरिभर करता था और प्रत्येक स्वतंत्र नदिशक एक-दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करता रहता था।

### स्वतंत्र नदिशकों के अधिकार और करतव्य

- सेबी (The Securities and Exchange Board of India) के नियमों एवं कंपनी अधिनियम के तहत स्वतंत्र नदिशकों का करतव्य है कि वे शेयरधारकों (वशिष तौर पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों) के हतियों की रक्षा करें।
- स्वतंत्र नदिशकों को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग मलिकर, कम्पनी अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा करनी होती है और नदिशक मंडल को किसी भी मुद्दे की जानकारी देनी होती है।
- स्वतंत्र नदिशकों को ये अधिकार दिया गया है कि वे कंपनी के प्रमुख नरिणय के संबंध में भी आपत्ति जाहरि कर सकते हैं और 'कम्पनी के प्रमोर्टर्स' इन आपत्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

### स्वतंत्र नदिशकों से सम्बन्धित समस्याएँ

- स्वतंत्र नदिशकों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या उनकी स्वतंत्रता को ही लेकर है, अक्सर ये देखा जाता है कि, कई भारतीय कंपनियों में स्वतंत्र नदिशक हमेशा स्वतंत्र नहीं होते; भले ही वे तमाम मानकों पर खरे उतरें।
- कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया है कि उद्योगपति या संरक्षक उन पूर्व नौकरशाहों को यह पद देते हैं, जिन्होंने पछिले कुछ दिनों में उनके हक में कोई काम किया था। कुछ मामलों में तो उद्योगपति अपने संबंधियों को स्वतंत्र नदिशक बनाते हैं, जो शायद ही उनके फैसले की मुखालफत करते हैं।
- लेकिन मसला सरिफ यहीं तक सीमति नहीं है। ऐसे स्वतंत्र नदिशक, जो ऊपर दी गई श्रेणी में नहीं आते, वे भी बमुश्कलि उन शेयरधारकों या संरक्षकों के खलिफ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें इस ओहदे पर बठियाया होता है। असलयित में कुछ तो इनके कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त वेतन मलिता है और कंपनी के फायदे में उनकी हसिसेदारी होती है।

### क्या हो आगे का रास्ता?

- स्वतंत्र नदिशकों की भूमिका को लेकर आज नदिशकों की उनसे अपेक्षा है कि वे सरिफ कंपनियों के नदिशक मंडल की शोभा बढ़ाने का कार्य न करें बल्कि अपने संचति ज्ञान और अनुभव से कम्पनी के प्रबंधन की गुणवत्ता बढ़ाने, उनके कामकाज पर नगिरानी रखने और शेयरधारकों की हतियों की रक्षा के दायतिव का भी वहन करें।
- स्वतंत्र नदिशकों को लेकर बना 2005 का कानून, उनके कार्यकाल से जुड़ा 2013 का कानून और महिला नदिशकों के संदर्भ में बना 2015 का कानून का बेहतर करियान्यवन, भारतीय कंपनियों के आंतरकि प्रशासन में सुधार और बोर्ड को बेहतर बना सकता है।
- 2005 के कानून में जहाँ यह तय किया गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक-तहिई स्वतंत्र नदिशक होंगे, वहीं 2013 का कानून कहता है कि स्वतंत्र नदिशक अधिकतम दस वर्ष तक काम करेंगे यानी उन्हें लगातार दो कार्यकाल ही मलेंगे।
- 2015 के कानून में महिला अधिकारों की बात कही गई है और बोर्ड में कम से कम एक महिला नदिशक (वह स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी) रखने के नरिदेश सूचीबद्ध कंपनियों को दिये गए हैं।

### नषिकरष:

इन कानूनों का थोड़ा-बहुत प्रभाव अवश्य देखने को मलिा है, लेकिन अंततः किसी बोर्ड की बेहतरी इस बात पर नरिभर करेगी कि उसके स्वतंत्र नदिशक कतिने कुशल हैं और उन्हें कसि हद तक आज़ादी मलिी हुई है। ऐसे में, स्वतंत्र नदिशकों के मूल्यांकन का यह कदम नषिचति ही सराहनीय है।

